

# न्यायालय अपर समाहर्ता, राँची।

9

जिला - राँची

Ac TR No: 590/ 20-2

केस का प्रकार - विविध वाद (जमाबन्दी निरस्तीकरण)

वाद सं० - 90/16-17

मौजा - कुशुरिया (लापुंग)

राज्य सरकार ..... वादी।

बनाम

जीसुदा पट्टान

प्रतिवादी।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पट्टान

17/8/22

### आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया।  
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 से गैरमजरूआ भूमि में कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राँची द्वारा B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु संदिग्ध जमाबन्दी से संबंधित अंचलाधिकारी लापुंग का यह अभिलेख प्राप्त हुआ है।

### वादग्रस्त भूमि का विवरण:-


| क्र० | मौजा     | थाना | खाता | प्लॉट | रकबा   |
|------|----------|------|------|-------|--------|
| 1    | कुशुरिया | 74   | 32   | 157   | 5.4520 |


अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खाता की भूमि है। विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा लिखित कथन (Written Statement)/जवाब (Reply) दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपरोक्त भूमि के रैयतीकरण संबंधी कोई कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। यथा (1) 1.1.1946 के पूर्व को कोई भी रजिस्टर्ड पट्टा/हुकुमनामा/बन्दोबस्ती परवाना लगान निर्धारण की प्रति (एम फॉर्म/रिटर्न की प्रति) 1955-56 से राजस्व लगान रसीद की प्रति प्राप्त नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि की जमाबन्दी विधि सम्मत नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, राँची एवं अंचलाधिकारी, लापुंग के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी निरस्त करने के लिए B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ इस न्यायालय को यह अभिलेख प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में लापुंग अंचल के विभिन्न मौजा एवं खाता से संबंधित वादग्रस्त गैरमजरूआ भूमि की जमाबन्दी निरस्तीकरण हेतु B.L.R. Act-1950 की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

गैरमजरूआ भूमि की जमाबन्दी निरस्तीकरण के लिए B.L.R. Act-1950  
की धारा 4(h) के तहत कार्रवाई हेतु उपायुक्त/समाहर्ता को शक्ति प्रदत्त है।  
अतः अभिलेख उपायुक्त राँची के न्यायालय में भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता,  
राँची।

  
अपर समाहर्ता,  
राँची।